दिनांक 03.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

मेटा के अलर्ट पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र 15 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर बचायी गयी युवक की जान, विगत ढाई वर्षों में 1100 से अधिक लोगों के प्राणों की रक्षा की गई

दिनांक 03–07–2025 को जनपद आजमगढ़ के थाना पवई निवासी 19 वर्षीय युवक द्वारा एक लड़की और लड़के की फ़ोटो पर **"यह लड़की मुझसे प्यार करती थी, मेरी ज़िंदगी के साथ खेलकर मुझे धोका दे दिया, उसके बाद मुझे धमकी दे रहो है, इसलिए मैं आज फांसी लगाने जा रहा हूँ। मेरी मौत का कारण कोई और नहीं ये ही दोनों हैं"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 03–07–2025 को 01:01 AM बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्णा द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आजमगढ़ को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना पवई के उ0नि0 15 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए, वहां उनके द्वारा परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी कर, दौड़कर घर के दूसरे भाग में, जहां पर युवक था, पहुँच गए। मौके पर युवक द्वारा फांसी का फंदा तैयार कर पंखे में डाला जा रहा था कि तभी उप निरीक्षक द्वारा उसको परिजनों के सहयोग से उसे अविलम्ब रोका गया। तत्पश्चात युवक के सामान्य होने पर उससे जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह बीएससी एग्रीकल्चर कालेज का छात्र है और वह कई वर्षो से एक लड़की से प्रेम करता है, परन्तु वह दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है और वह जिससे शादी करना चाहती है वह नशायुक्त पदार्थ का सेवन करने का आदी है। युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड को उस लड़के से शादी करने से मना करने के बावजूद भी लड़की उसी से शादी करना चाहती है। जब युवक द्वारा लड़की को बहुत समझाया गया तो उसने बात करने से इंकार कर दिया गया। इसी बात से आहत होकर, अवसाद में उसके द्वारा ऐसा

कदम उठाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिसपर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 30–06–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1107 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

दिनांक 03.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टी0एफ–शराब एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का सदस्य एवं जनपद बाँदा से गैगस्टर एक्ट में वांछित 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष हरियाणा से गिरफ्तार।

दिनांक 03–07–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को शराब एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सदस्य एवं थाना बबेरू, जनपद बाँदा के मु0अ0सं0 237/25 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में वांछित 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष को हरियाणा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– मनीष पुत्र जगवीर निवासी ग्राम डालयान पन्ना, डीघल थाना दुजाना जनपद झज्जर हरियाणा। हालपता–जटवाड़ा मुहल्ला पॉच पाना निकट बड़ा गुरूद्वारा बहादुरगढ़ थाना सिटी बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

बहादुरगढ़ जटवाड़ा मोहल्ला पॉच पाना निकट बड़ा गुरूद्वारा थाना सिटी बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा। दिनाक 03–07–2025 समय 01.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना बबेरू जनपद बाँदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–237/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मनीष हरियाणा के झज्जर जिला में

कही छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण अश्वनी कुमार सिंह, सन्तोष कुमार, किशन चन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा बहादुरगढ़ जटवाड़ा मोहल्ला पॉच पाना निकट बड़ा गुरूद्वारा थाना सिटी बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा से अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका शराब एवं मादक पदार्थो की तस्करी करने का एक सक्रिय गिरोह है। यह रिन्कू राठी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करता है। यह लोग मादक पदार्थ की तस्करी का कार्य विगत कई वर्षो से कर रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी उ0प्र0 के बॉदा, चित्रकूट, फतेहपुर, मेरठ, गाजियाबाद के अतिरिक्त दिल्ली व हरियाणा में भी करते है। दिनांक 16–07–2023 को बरहमपुर उड़ीसा से प्लास्टिक स्क्रैप व खाली गत्तों के बीच में गांजा छिपाकर लाया था और सहयोगी सदस्य यशपाल सिंह व बिल्लू उर्फ बीर सिंह को बरहमपुर में दिया था, जिसे दिनांक 16–07–2023 को जनपद बॉदा के थाना क्षेत्र बबेरू में पकड लिया गया था। उक्त घटना में इसकी संलिप्तता पाये जाने पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे इसे दिनांक 10–03–2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 06 माह तक जेल में निरूद्ध रहने के बाद जेल से रिहा होने पर स्थान पर बदलकर झज्जर हरियाणा में रहने लगा। थाना बबेरू जनपद बॉदा में गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत होने एवं 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वह इधर–उधर लुक छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष उपरोक्त को थाना बबेरू जनपद बांदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2025 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में थाना सिटी बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा में दाखिल किया गया। मा0 न्यायालय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट/स्पेशल जज बहादुरगढ़ झज्जर, हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 मनीष उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	575/17	20 एनडीपीएस एक्ट	शिवाजी कालोनी	रोहतक, हरियाणा
2	355/23	8/20/29 एनडीपीएस एक्ट	बबेरू	बांदा, उ0प्र0
3	237/25	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	बबेरू	बांदा, उ0प्र0

एस0टी0एफ–फर्जी आईडी पर 100 से अधिक फर्मो की नकली इन वॉईस/ई–वे बिल तैयार कर जीएसटी चोरी कर सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुॅचाने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 05 सदस्य बैंगलोर (कनार्टक) से गिरफ्तार

दिनांक 28–06–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना वायदराहल्ली, जनपद बैंगलोर सिटी, कर्नाटक क्षेत्र से फर्जी आईडी पर 100 से अधिक फर्मो की नकली इन वायस/ई–वे बिल तैयार कर जीएसटी चोरी कर सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुॅचाने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– रतना राम पुत्र कालूराम निवासी गोलिया गरवा, थाना आजीटी नगर, जिला बाडमेर, (राजस्थान)

2– ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम, नि0 गोलिया गरवा, थाना आजीटी, नगर जिला बाडमेर (राजस्थान)

3– हनुमान राम पुत्र मूला राम, निवासी गोलिया गरवा, थाना आरजीटी, जिला बाडमेर (राजस्थान)

4– बुद्धराम पुत्र भागीरथ, नि0 डाबड, थाना गुडामलानी, जिला बाडमेर (राजस्थान)

5– सन्तोष कुमार पुत्र भागीरथ राम, नि0 डाबड, थाना गुडा मलानी, जिला बाडमेर (राजस्थान)

बरामदगी–

1. 13 अदद मोबाईल फोन
2. 01 अदद प्रिंटर
3. 08 अदद बिल बुक (विभिन्न कम्पनियों की)
4. 04 अदद रबड मोहर (विभिन्न कम्पनियों की)
5. 01 अदद नम्बरिंग मशीन
6. 04 अदद चैक बुक ((विभिन्न कम्पनियों के नाम))
7. 01 अदद कार नं0–के0ए0–02 एमडब्लू–2265(टाटा एल्टरोज)
8. 01 अदद कार नं0–के0ए0–02 एमयू–6059 (स्विफ्ट)
9. 01 अदद कार नं0–के0ए0–41 एमई–1559 (वैन्यू)

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनाक–28–06–2025, समय–17:45, बजे स्थान– म0न0 173, तृतीय फ्लोर, कैपेगोडा नगर, तूंगनगर, थाना वायदराहल्ली जनपद बैगलौर सिटी, कर्नाटक ।

वादी श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार ग्राम–वडसू थाना खतौली,जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर व्हाटसप के जरीये वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बल आदि प्रमाण–पत्र लेकर उनके आधार पर वादी के नाम पर एक फर्जी फर्म ए0के0ट्रेडर्स रजि0 कराकर लगभग 248 करोड के फर्जी बिल बनाकर धोखाधडी कर लगभग 45 करोड की जीएसटी चोरी के सम्बन्ध में थाना साईबर क्राईम जनपद मुजफ्फरनगर पर दिये गये प्रार्थना–पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 26/2024 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ को स्थानान्तरित की गई जिसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ द्वारा किया जा रहा है।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर/सर्विलांस से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्जी कम्पनी बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य बैंगलौर कर्नाटक में रहकर कार्य कर रहे है। इस पर एसटीएफ की टीम को बैंगलौर कनार्टक के लिये रवाना किया गया । वहां पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर म0न0 173, तृतीय फ्लोर, कैपेगोडा नगर, तूंगनगर, थाना वायदराहल्ली, जनपद बैगलौर सिटी, कर्नाटक से जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफतार किया गया ।

संयुक्त रूप से की गई पूछताछ पर बताया कि वह सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं तथा एक दूसरे के आपस में परिचित/रिश्तेदार हैं और यहां किराये के मकान में रह रहे हैं। यह लोग अपने परिचित लाभूराम पुत्र फगलूराम नि0 कोटडा थाना करडा, जिला जालोट (राजस्थान) व सुरेश नि0 बाडमेर (राजस्थान) जो कि जनता के सीधे सादे लोगों से नौकरी लगवाने आदि का लालच देकर उनसे उनके आधार कार्ड पैनकार्ड

आदि लेकर व किसी फर्जी आई0डी0 पर सिम निकलवाकर उनके नाम पर जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाईन फर्जी फर्म रजिस्टर्ड करते हैं और इसका इस्तेमाल फर्जी ई–वे बिल बनाकर लाखो करोडो रूपये की जीएसटी चोरी करते हैं, इनके बुलाने पर यह लोग राजस्थान से यहां आकर रह रहे हैं और उनके लिए पिछले लगभग दो साल से उनके बताये अनुसार फर्जी जीएसटी बिल/ई–वे बिल काटने का काम करते हैं, जिसके लिए लाभूराम व सुरेश उपरोक्त ने इन्हे इनसे बरामद मोबाईल फोन व इनमे लगे फर्जी आई0डी0 के सिम तथा प्रिन्टर, चैक बुक, बिल बुक, रबर मोहरे, स्टाप आदि विभिन्न कम्पनियों को उपलब्ध कराते हैं। जीएसटी बिल काटने की एवज मे यह लोग इन्हे प्रति बिल तीन हजार रूपये देते हैं। किस कम्पनी के नाम पर कितने का बिल काटना है, की डिटेल ये लोग इन्हे बताते है तथा जिस कम्पनी के नाम पर बिल काटना है, उस कम्पनी से सुरेश व लाभूराम द्वारा अपनी बनाई गई फर्जी फर्म के बैंक खातों में पैसे लिये जाते है तथा अपना 10 से 20 प्रतिशत कमीशन काटकर पैसा कम्पनी द्वारा बताये गये किसी अन्य खाते में या कैश द्वारा कम्पनी को वापस कर देते है और बनाई गई फर्जी फर्म को कुछ समय बाद बिना जीएसटी जमा किये बन्द कर देते है। इस तरह यह लोग जीएसटी की चोरी कर भारत सरकार को करोडों रूपये का नुकसान पहुँचा चुके है। उक्त अभियुक्तों को बंगलौर कनार्टक से ट्रॉजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जनपद मुजफ्फरनगर लाया गया है, जिन्हें समय से मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>एएनटीएफ–दिनांक 02-07-2025 को एएनटीएफ थाना मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 किलो 802 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 28 लाख रुपये) बरामद।</u>

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के नेतृत्व में ए.एन.टी.एफ. थाना मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर 1–संगीता देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट–फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार, 2–धीरज कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट–फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार के कब्जे से 02 किलो 802 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 28 लाख रुपये), 02 अदद मोबाइल, 01 अदद आधार कार्ड एवं 7478/– नगद रू0 बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर में मु0अ0सं0 285/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों से अलग–अलग व सयुक्त रूप से पूक्षताक्ष की गयी तो बताया कि यह नेपाली अफीम नेपाल से खरीदते है। उनके द्वारा दी गयी अफीम को लेकर हमारे द्वारा इसकी सप्लाई पंजाब/हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में की जाती है।

नाम गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक– 02-07-2025 समय– 20%10 बजे, स्थान– ग्राम विश्वकर्मा चौक से पेपर मिल सड़क पर ओवरब्रिज के नीचे ।

बरामदगी का विवरण–

1– 02 किलो 802 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 28 लाख रुपये)

2– 02 अदद मोबाइल फोन।

3– 1 अदद आधार कार्ड

4– 7478 :पया नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

2– मु0आ0 राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

3– मु0आ0 पंकज कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

4– म0मु0आ0 शैली शर्मा ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

5– आ0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

6– आ0 कपिल रावत ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

7– सहयोगार्थ थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर पुलिस टीम।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **27 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 02.07.2025 को थाना इगलास व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डबल नहर पीली कोठी के पास से 02 अभियुक्तों 1–हरीशचन्द्र 2–कोमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 27 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कोमल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त कोमल जनपद मथुरा से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरीशचन्द्र निवासी ग्राम कांका थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2–कोमल निवासी ग्राम कांका थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–27 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.07.2025 को थाना सफीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमता चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रईस बेग को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रईस बेग निवासी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

जनपद बांदा/थाना तिंदवारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.07.2025 को थाना तिंदवारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अयूब खान उर्फ अईया को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तिंदवारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अयूब खान उर्फ अईया निवासी रंजीतपुर थाना नरैनी जनपद बांदा।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 पिकअप वाहन**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद**

दिनांक 02.07.2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नुआंव पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अरबाज 2–चन्दन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 01 पिकअप वाहन, लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुए।
इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरबाज निवासी ग्राम रजवारा थाना मुशहरी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–चन्दन कुमार निवासी ग्राम रजवारा थाना मुशहरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट की 01 पिकअप वाहन।

2–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

➢ **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 06–06 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सचिन 2–विशाल 3–सम्मन उर्फ समशाद को आजीवन कारावास व 06–06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीहरोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीहरोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गोपाल को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 03.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की भारतीय सेना की सेंट्रल कमान के जीओसी–इन–सी से मुलाकात

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की आज दिनांक 03.07.2025 को लखनऊ स्थित मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल **श्री अनिंद्य सेनगुप्ता**, जीओसी–इन–सी, सेंट्रल कमांड से मुलाकात हुई।

मुलाकात के दौरान आर्मी और पुलिस के बीच विशेष रूप से **रीयल–टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स, और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वय** को और मजबूत करने पर चर्चा हुई तथा **राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बिना अवरोध इंटर–एजेंसी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता** को दोहराया गया।